

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशित:- श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस
दावा सं0 दायर दिनांक निर्णय
63 / 2020 3.9.2020 20.04.22

उनवान

1. बलवान सिंह पुत्र श्री चन्दर उम्र करीब 83 साल जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील
किशनगढबास जिला अलवर

:—वादी

बनाम

- 1— राजपाल उम्र करीब 64 साल ———मृतक
- 1/1. शकुन्तला बेवा राजपाल उम्र 60 साल
- 1/2. मन्नुपाल पुत्र राजपाल उम्र 35 साल
- 1/3. उदयसिंह उर्फ बिट्टू पुत्र राजपाल उम्र 29 जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील
किशनगढबास जिला अलवर राज0।
- 1/4. मीना पुत्री राजपाल पत्नी यशपाल जाति जाट निवासी जालाका हाल निवासी
सब्जीमंडी पी0 जी0 कॉलेज के पास किशनगढबास जिला अलवर ।
- 2— हरीसिंह उम्र करीब 66 साल पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील
किशनगढबास जिला अलवर ।
- 3— राज0 स्टेट जरिये तहसीलदार (भूमिधारी अधिकारी) किशनगढबास जिला अलवर ।

:—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88,
89,188 आर0टी0एक्ट

- उपस्थिति:-1. श्री परमानन्द शर्मा वकील वादी की ओर से।
2. जर्नादन शर्मा वकील प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:-

वादी ने वाद पेश किया है कि राजस्व ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास में
स्थित हाल आराजी खसरा नं0 227 रकबा 0.16 हे0, 232 रकबा 0.46 हे0, 250 रकबा 0.40
हे0, 254 रकबा 0.18 हे0, 261 रकबा 0.25 हे0, 264 रकबा 0.13 हे0, 266 रकबा 0.38हे0,

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

275 रकबा 0.47 हे०, 278 रकबा 0.62हे०, 315 रकबा 0.62 हे०, 901 रकबा 0.33 हे०, 900 रकबा 0.05 हे०, 902 रकबा 0.06 हे०, 903 रकबा 0.43हे०, 907 रकबा 0.28 हे०, 922 रकबा 0.22 हे०, 927 रकबा 0.39 हे०, 942 रकबा 0.77 हे०, 985 रकबा 0.05 हे०, 988 रकबा 0.13 हे०, 354 रकबा 0.34हे०, 350 रकबा 0.22 हे०, 351 रकबा 0.11 हे०, 352 रकबा 0.09 हे०, 353 रकबा 0.18 हे०, 356 रकबा 0.09 हे०, 355 रकबा 0.15 हे०, 357 रकबा 0.09 हे०, 358 रकबा 0.29 हे०, वाके ग्राम मौजा बम्बोरा तह० किशनगढबास जिला अलवर राज० में स्थित है । जिसका बाहमी बटवारे के अनुरूप भौतिक रूप से आयी कब्जे काशत की आराजी का कानूनी बटवारा किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर पक्षकारान की आराजी में कुरेजात कायम किये जावे तथा बाद कुरेजात कायमी अन्तिम रूप से पक्षकारान में खाता अलग-अलग कायम किया जाकर कानूनी बटवारां किया जावे ।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया लेकिन बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए थे उनके विरुद्ध एक पक्षीयकार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त वाद दिनांक 3.9.2020 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास से कुरे कायम कराये जाकर कुरे कायमी रिपोर्ट तलब की गई ।

तहसीलदार किशनगढबास ने अपने पत्र क्रमांक भू०अ०/2021/2526 दिनांक 11.8.2021 से कुरे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा को भिजवाई । कुरे कायमी रिपोर्ट आने पर शामिल मिसल की गई । कुरे कायमी रिपोर्ट के बाद प्रतिवादी की ओर से श्री जर्नादन शर्मा वकील ने वकालत नामा पेश किया वकील प्रतिवादीगण ने कुरे कायमी रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है । पत्रावली पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया । तहसीलदार किशनगढबास द्वारा भिजवाई गई कुरे कायमी रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण बाबत तकासमा आराजी फाईनल डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायासंगत प्रतीत होता है ।


अतः आदेश है कि:-

वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुरे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काशत खातेदारी में रहेगी:-

क्रमसं०	नाम खातेदार	ख०न०	रकबा
1.	बलवान सिंह पुत्र चन्दर जाति जाट सा० देह खातेदार	232 903 907 985 927 922 227 254 942 कुल किता-9	0.23 0.43 0.28 0.05 0.39 0.22 0.16 0.18 0.77 कुल रकबा- 2.71 हे०
2.	राजपाल पुत्र चन्दगी -मृतक शकुन्तला बेवा राजपाल, मन्नुपाल, उदयसिंह उर्फ बिटटु पुत्रान राजपाल, मीना पुत्री राजपाल 1/2, हरिसिंह पुत्र चन्दगी 1/2, सा० देह खातेदार राहिन 1/6 एसबीबीजे किशनगढबास	232 261 264 278 315 275 266 कुल किता- 7	0.23 0.25 0.13 0.62 0.62 0.47 0.38 कुल रकबा-2.70 हे०

नोट:- शेष आराजी ख० नं० 250/0.40, 900/0.05, 901/0.33, 902/0.06, 988/0.13 तथा 350/0.22, 351/0.11, 352/0.09, 353/0.18, 356/0.09, 354/0.34, 355/0.15, 357/0.09, 358/0.29 हे० वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास मे पक्षकारान की शामिलती मे रहेगी।

तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में खाते व लगान पृथक-पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फ़ैरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रस्तावित नक्शा डिक्री का जुज रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार रहे।


 उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढबास (अलवर)

यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

दावा सं० 33 / 2020
अध्याशित:- श्री ओमप्रकाश सहारण आर०ए०एस
दायर दिनांक 3.9.2020
निर्णय 20.4.22

उनवान

1. बलवान सिंह पुत्र श्री चन्दर उम्र करीब 83 साल जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:—वादी

बनाम

- 1— राजपाल उम्र करीब 64 साल ———मृतक
- 1/1. शकुन्तला बेवा राजपाल उम्र 60 साल
- 1/2. मन्नुपाल पुत्र राजपाल उम्र 35 साल
- 1/3. उदयसिंह उर्फ बिट्टू पुत्र राजपाल उम्र 29 जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज० ।
- 1/4. मीना पुत्री राजपाल पत्नी यशपाल जाति जाट निवासी जालाका हाल निवासी सब्जीमंडी पी० जी० कॉलेज के पास किशनगढबास जिला अलवर ।
- 2— हरीसिंह उम्र करीब 66 साल पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।
- 3— राज० स्टेट जरिये तहसीलदार (भूमिधारी अधिकारी) किशनगढबास जिला अलवर ।


:—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88,
89,188 आर०टी०एक्ट

उपरिस्थिति:—1. श्री परमानन्द शर्मा वकील वादी की ओर से।
2. जर्नादन शर्मा वकील प्रतिवादी की ओर से।

पर्चा डिक्री


वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुरें कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काशत खातेदारी मे रहेगी:—


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

सं०	नाम खातेदार	ख०न०	रकबा
	बलवान सिंह पुत्र चन्दर जाति	232	0.23
	जाट सा० देह खातेदार	903	0.43
		907	0.28
		985	0.05
		927	0.39
		922	0.22
		227	0.16
		254	0.18
		342	0.77
		कुल किता-9	कुल रकबा- 2.71 हे०
	राजपाल पुत्र चन्दगी -मृतक	232	0.23
	शकुन्तला बेवा राजपाल,	261	0.25
	मन्नुपाल, उदयसिंह उर्फ बिट्टु	264	0.13
	पुत्रान राजपाल, मीना पुत्री	278	0.62
	राजपाल 1/2, हरिसिंह पुत्र	315	0.62
	चन्दगी 1/2, सा० देह खातेदार	275	0.47
	राहिन 1/6 एसबीबीजे	266	0.38
	किशनगढबास	कुल किता- 7	कुल रकबा-2.70 हे०

नोट:- शेष आराजी ख० सं० 250/0.40, 900/0.05, 901/0.33, 902/0.06, 988/0.13, तथा 350/0.22, 351/0.11, 352/0.09, 353/0.18, 356/0.09, 354/0.34, 355/0.15, 357/0.09, 358/0.29 हे० वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास में पक्षकारान की शामिलती मे रहेगी।

तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में खाते व लगान पृथक-पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फ़ैरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। प्रस्तावित नक्शा डिक्की का जुज रहेगा। खर्चा अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार रहे।


 (ओम प्रकाश सहारण)
 उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढबास (अलवर)